(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए.बी.ए. गनी खां चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) जी नहीं, क्योंकि गाड़ी के फेरे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रेक की व्यवस्था करनी होगी जिसकी इस समय रेलों पर बहुत ही कमी है । संसाधनों की स्थिति में सुधार हो जाने पर इस मांग पर विचार किया जायेगा ।

रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद में उत्तर पुस्तिकाओं का गुम हो जाना

10176. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग चार मास पूर्व रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा ली गई विभिन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं गुम हो गई हैं और वह उनको अभी तक ढूंढ नहीं सके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच करवाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खां चौधरी) : (क) 16-8-82 के पश्चात आयोजित परीक्षा की कोई उत्तर पुस्तिकाएं गुम नहीं हुई हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली और सराय रोहेल्ला स्टेशनों से पार्सल बुकिंग क्लर्कों का स्थानांतरण

10177. **श्री बाबा साहेब पवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने इस आशय के कुछ आदेश जारी किए हैं कि वाणिज्यिक विभागके कर्मचारियों को एक स्टेशन पर पांच वर्ष से अधिक समय तक काम नहीं करना चाहिए जिसके आधार पर अप्रैल, 1982 से सितम्बर, 1982 की अवधि के दौरान बीकानेर डिवीजन के सभी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और सराय रोहिल्ला स्टेशनों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इन आदेशों को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खां चौधरी) : (क) इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार जिन कर्मचारियों का संव्यवहार जनता के साथ होता है या जिनका वास्ता ठेकेदारों, सप्लायरों से पड़ता है उन्हें उस सीट विशेष पर कार्य की 4 वर्ष की अवधि पूरा कर लेने पर अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाता है । ऐसे कर्मचारियों को उसी स्टेशन/क्षेत्र/कार्यालय की अन्य सीट पर स्थानांतरित किया जा सकता है । उपरोक्त अनुदेशों के आधार पर उत्तर रेलवे ने, बीकानेर मण्डल के वाणिज्यिक कर्मचारियों को दिल्ली-सराय रोहिल्ला से और जिन कर्मचारियों का सेवाकाल दिल्ली में उसी सीट पर 5 वर्ष से अधिक हो गया है, उन्हें स्थानांतरित कर दिया है । बहरहाल, उत्तर रेलवे को पहले से ही अनुदेश दिये गये हैं कि वर्तमान आदेशों केअन्तर्गत इस प्रकार के स्थानांतरणप्रति 4 वर्ष के पश्चात किये जाने चाहिएं ।

(ख) उपरोक्त अनुदेश दिल्ली और सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर कार्यरत कर्मचारियों पर पहले से ही लागू होते हैं ।

Instructions Regarding Cancellation of Indents at siding without Forfeiture of Wagon Registration Fee

10178. SHRI S.R.A.S. APPALANAIDU : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :